न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–33 / 2017

एतवारी दास वगैरह.....वादीगण

बनाम

बलदेव दास वगैरह.....प्रतिवादीगण

23.04.25 अभिलेख आज वादी की ओर से न्यायालय आदेश दिनांक–04.10.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–24.01.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–21.02.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु चल रही थी और वादी जो वृद्ध, देहाती और अनपढ़ व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते थे, लेकिन दिनांक–04.10.2024 को वादी इलाज के लिए गॉव से बाहर गया था और उसका गवाह बीमार हो गया इसलिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। दुर्भाग्यवश वादी गंभीर परिस्थितियों में शामिल और बीमार पड़ गया, इसलिए वह साक्षी के साथ उक्त तिथि को शारीरिक रूप से न्यायलय में उपस्थित नहीं हो सका और न्यायालय द्वारा साक्ष्य बन्द करने का आदेश दिया गया। वादी ने जानबूझकर वाद को आगे बढ़ाने में कोई कोताही नहीं की है तथा वादी को अगर साक्ष्य हेतु एक अवसर नहीं दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि न्यायहित द्वारा पारित आदेश दिनांक–04.10.2024 को वापस लेते हुए वदी को शेष साक्षियों का साक्ष्य कराने का अवसर दी जाए जिनका उल्लेख साक्षी सूचि में है।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादी को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु वादी जाबनूझकर केवल वाद को लंबित रखने और वादी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी का उपरोक्त आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद न्यायालय आदेश दिनांक–04.10.2024 के द्वारा वादी साक्ष्य बन्द करने के पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, चूँकि वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु अग्रसारित है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा पिछले तिथियों पर साक्षी के अनुपस्थित रहने एवं साक्ष्य न कराने के कारण उनका साक्ष्य दिनांक–04.10.2024 को बन्द कर दिया गया एवं अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया, परन्तु अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी को साक्ष्य प्रदान करने का एक अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि वादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी साक्ष्य नहीं दिए और आदेश वापस लेने से विलंब कारित होगा। तद्नुसार वादी का आवेदन मो0 500 / – रुपये प्रतिवादीगण को अदा किए जाने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–04.10.2024 को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि वादी अगली पॉच तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक–30-05-2025 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।